रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 1994/भाद्र 29, 1916
No. 390] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1994/BHADRA 29, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1994

सं. 169/94—सीमा शुल्क

सा.का.नि. 694(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (हानि के अवधारण के लिए सन्निक्षिप्त वस्तुओं की पहचान, शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 1985 के नियम 13 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथाभिहित प्राधिकारी के प्रारम्भिक निष्कर्षों के, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 12 सितम्बर, 1994 में प्रकाशित किए गए थे, आधार पर कि उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 2933.40 के अन्तर्गत आने वाले आइसोब्यूटिल बेंजीन

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जिसका उद्भव का देश चीन जनवादी गणराज्य है, के संबंध में सन्निक्षेपण है, उक्त माल पर, जब उसका भारत में आयात किया जाए, 13,809 रुपए प्रति मीटरी टन (तेरह हजार आठ सौ नौ रुपए प्रति मीटरी टन) के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करती है।

[फा. सं. 525/3/94-सीमाशुल्क (टी.यू.)]

अनिल बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1994

NO. 169/94—CUSTOMS

G.S.R. 694 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rule 13 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1985, the Central Government on the basis of preliminary findings of the designated authority, published in Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th September, 1994 that there is dumping in respect of Isobutyl Benzene falling under heading 2933 40 of the First Schedule to the said Act (hereinafter referred to as the said goods), and having country of origin as People's Republic of China, hereby imposes on the said goods when imported into India, an additional duty equivalent to Rs. 13,809 per metric tonne (Rupees thirteen thousand eight hundred and nine per metric tonne).

[F. No. 525/3/94—CUS. (TU)]

ANIL BEDI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994